भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

01.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1561 का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा पर रियायतें

1561. डा. जॉन ब्रिटास:
श्री संदोष कुमार पी:
श्री मिलिंद मुरली देवरा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली रियायतें बहाल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों के संबंध में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की चालू वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली रियायतें बहाल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें बहाली की समय-सीमा और ऐसी रियायत के लिए मान्यता प्राप्त कुछ विशिष्ट रेलगाड़ी सेवाओं का ब्यौरा शामिल है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलवे कोविड-19 महामारी के दौरान वापस ली गई यात्रा संबंधी विभिन्न रियायतों को बहाल करेगा; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेलवे की स्थायी समिति ने कम से कम शयनयान और 3 एसी में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत संबंधी समीक्षा और उस पर विचार करने को कहा गया है।

भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है और 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। इससे रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन 45% की रियायत मिलती है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट की कीमत 55 रुपए है। यह रियायत सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की 4 कोटियां, रोगियों की 11 कोटियां और छात्रों की 8 कोटियां जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि से अलग रियायतें जारी हैं।
